**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी।**

**जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-1585/2026**

UPBB010035852026

विकास वर्मा उर्फ भन्नू उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र दिलीप कुमार, निवासी म०न०-985, फैजाबाद रोड खड़खड़ा स्टैण्ड के पास, मोहल्ला कानून गोयान, थाना कोतवालीनगर, जनपद बाराबंकी।

----------- प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ------ विपक्षी।

**अपराध सं**-367/2026
**धारा-** 305(a) बी.एन.एस. व बढ़ोत्तरी
धारा 317(2), 317(4) बीएनएस,
**थाना-** कोतवालीनगर,
**जिला-**बाराबंकी।

| | |
|---|---|
| अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता | श्री उमेश चन्द्र एडवोकेट |
| अभियोजन पक्ष की ओर से | श्री अमित कुमार अवस्थी,<br>प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता<br>(फौ0)बाराबंकी । |
| जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने का दिनांक | 04.06.2026 |
| जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारण का दिनांक | 15.06.2026 |

**जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-1635/2026**

UPBB010036862026

विकास वर्मा उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र सोनू वर्मा, निवासी निवासी मोहल्ला गल्ला मण्डी कानून गोयान, जनपद बाराबंकी।

----------- प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ------ विपक्षी।

**अपराध सं**-367/2026
**धारा-** 305(a) बी.एन.एस. व बढ़ोत्तरी
धारा 317(2), 317(4) बीएनएस,
**थाना-** कोतवालीनगर,
**जिला-**बाराबंकी।

| | |
|---|---|
| अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता | श्री अजय चौहान एडवोकेट |
| अभियोजन पक्ष की ओर से | श्री अमित कुमार अवस्थी,<br>प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता<br>(फौ0)बाराबंकी । |
| जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने का दिनांक | 09.06.2026 |
| जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारण का दिनांक | 15.06.2026 |

## निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र प्रस्तुत प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उनका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रभारी शासकीय अधिवक्ता (फौ0) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

सक्षेंप में अभियोजन कथानक है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय ढकौली, विकास खण्ड बंकी, जनपद बाराबंकी में दिनांक 05.05.2026 को स्थानीय अवकाश(बड़ा मंगल) था। दिनांक 06.05.2026 को प्रातः 07.20 पर विद्यालय पहुँचने पर विद्यालय के मेन गेट का ताला बन्द था परन्तु अन्दर पहुँचने पर सभी कक्ष एवं आफिस का ताला खुला मिला। विद्यालय के सभी कीमती सामान दो एल०सी०डी० टी०वी०, Music System, Gas Cylender(भरा हुआ) सरस्वती देवी की कीमती मूर्ति, तौलिया, राशन आटा, चावल, तेल, मसाला, सब्जियाँ आदि की चोरी अज्ञात लोगों द्वारा की गयी।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित आधारों पर तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्तगण सीधे-साधे व्यक्ति हैं तथा पूर्णतय निर्दोष है, महज गलत वाक्यात की बिना पर उक्त वाद में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी अनुसूचित जाति(कोरी) का सदस्य है जबकि फर्द बरामदगी के अनुसार पिछड़ी जाति का व्यक्ति है। आवेदक/अभियुक्तगण व मोहल्ले के अन्य लड़कों के साथ दिनांक 17.05.2026 को आपस में कहासुनी व हाथापाई हो गयी थी, जिसमें आवेदक/अभियुक्तगण का सिर फट गया था जिसका मेडिकल परीक्षण थाना पुलिस द्वारा कराया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के पास से पुलिस द्वारा मु० 1650/- दाहिने जेब से व बाये जेब से मु० 1000/- कुल मु० 2650/- की बरामदगी दिखाई जो स्वयं प्रार्थी की है। प्रार्थी द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है, जिसकी पुष्टि सी०सी०टी०वी० फुटेज से स्ययं उजागर हो जायेगी। कथित बरादमगी संदिग्ध व सन्देहास्पद है क्योंकि थाने की पुलिस दिनांक 28.05.2026 को समय 01.32 बजे घर से पकड़ कर लायी थी जिसका सी०सी०टी०वी० फुटेज आवेदक/अभियुक्तगण के पास मौजूद है। आवेदक/अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही पूर्व का दण्डित है। आवेदक/अभियुक्तगण मजदूरी पेशा व्यक्ति हैं, जो मेहनत मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। आवेदक/अभियुक्तगण दिनांक

30.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध हैं। उपरोक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की याचना की गई है।

इसके विपरीत अभियोजन की ओर से प्रभारी शासकीय अधिवक्ता (फौ0) तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता है। प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय ढकौली, विकास खण्ड बंकी, जनपद बाराबंकी में सभी कीमती सामान दो एल०सी०डी० टी०वी०, Music System, Gas Cylender(भरा हुआ) सरस्वती देवी की कीमती मूर्ति, तौलिया, राशन आटा, चावल, तेल, मसाला, सब्जियाँ आदि की चोरी की घटना कारित की गयी है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पुलिस प्रपत्रों के अनुसार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय ढकौली, विकास खण्ड बंकी, जनपद बाराबंकी में सभी कीमती सामान दो एल०सी०डी० टी०वी०, Music System, Gas Cylender(भरा हुआ) सरस्वती देवी की कीमती मूर्ति, तौलिया, राशन आटा, चावल, तेल, मसाला, सब्जियाँ आदि की चोरी की घटना कारित की गयी है। कथित गिरफ्तारी तथा बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। आवेदक/अभियुक्तगण का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। आवेदक/अभियुक्तगण दिनांक 30.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। थाने से आहूत आख्या में आवेदक/अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास दर्शित नही किया गया है।

आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी न करते हुए आवेदक/ अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **विकास वर्मा उर्फ भन्नू** तथा **विकास वर्मा** उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा अंकन-50,000/-रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान राशि का एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि में निष्पादित करने पर दौरान विचारण निम्न शर्तों के अधीन उसे जमानत पर मुक्त किया जाए:-

1-आवेदक/अभियुक्तगण दौरान मुकदमा किसी अन्य अपराध में संलिप्त नही होगा।

2-अभियोजन पक्ष के साक्षियों को परेशान, प्रताड़ित नही करेंगे और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेंगे।

3-आरोप, साक्ष्य, धारा-351 बीएनएसएस के बयान एवं बहस के स्तर पर अनावश्यक स्थगन नही चाहेगा तथा विचारण मे पूर्ण सहयोग करेंगे।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर विचारण न्यायालय को उनकी जमानत निरस्त करने का अधिकार होगा।

**दिनांक-15.06.2026**

**(प्रतिमा श्रीवास्तव)**
सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी
JO Code UP1899